समय–सीमा/महत्वपूर्ण

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, वाणिज्यिक कर जी.एस.टी. भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/आब./ठेका/2025/1166 नवा रायपुर, दिनांक 10.03.2025

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– **वर्ष 2025–26 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अन्तर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिन्दुओं पर शासन निर्देश।**

––::0::––

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 (यथासंशोधित) (जिसे इसके पश्चात् केवल व्यवस्थापन नियम, 2018 भी कहा गया है) के अन्तर्गत **आवेदन पत्र प्राप्त कर** मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन किया जायेगा। **उपरोक्त नियमों के तहत वर्ष 2025–26 में भी राज्य की समस्त देशी/विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों का संचालन विगत वर्ष की भांति राज्य के सार्वजनिक उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ही किया जावेगा। अतः इस संबंध में मंत्रि–परिषद् निर्णय दिनांक 02/03/2025 अनुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु एवं निर्देश निम्नानुसार है :–**

1/ आवेदन पत्र :– छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (सी. एस. एम. सी. एल.) अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र (परिशिष्ट–1) एवं निर्धारित लायसेंस फीस प्रति दुकान प्रति वर्ष एक मुश्त जमा कर आवेदन करेगा। आवेदन पत्र लायसेंस प्रारंभ होने की तिथि से 07 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

2/ लायसेंस मंजूर करने के लिए प्रक्रिया :–

1. जिले की देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों/कंपोजिट मदिरा दुकानों/प्रीमियम मदिरा दुकानों के अनुज्ञापन के लिए आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (सी. एस. एम. सी. एल.) अथवा उसके अधिकृत प्राधिकारी द्वारा **छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 के** नियम 5 की प्रक्रिया अनुसार आवेदन पर लायसेंस प्रदान किया जावेगा।
2. अनुज्ञापन प्राधिकारी प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर लायसेंस स्वीकृत कर सकेगा।

3/ **मदिरा दुकानों की लायसेंस फीस एवं वसूली:–**

इस संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :–

i. वर्ष 2025–26 के लिए प्रत्येक देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रूपये 10,000/– निर्धारित किया गया है।

ii. वर्ष 2025–26 के लिए कम्पोजिट मदिरा दुकानों हेतु वार्षिक लायसेंस फीस रूपये 20,000/– निर्धारित किया गया है।

iii. किसी भी मदिरा दुकान को वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पोजिट मदिरा दुकान के स्वरूप में परिवर्तित करने की स्थिति में लायसेंस फीस की अंतर की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

iv. आवश्यकतानुसार खोली जाने वाली विदेशी मदिरा (प्रीमियम) दुकानों के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रूपये 10,000/– निर्धारित किया गया है।

v. वर्ष 2025–26 के लिये लायसेंस फीस अनुपातिक नहीं होगी, किसी भी समय लायसेंस फीस का निर्धारण सम्पूर्ण वर्ष के अनुसार ही किया जावेगा।

4/ **देशी/विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) की ड्यूटी दरें** :–

(क) प्रदेश में **वर्ष 2025–26** के लिए देशी/विदेशी मदिरा के प्रदाय हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) की ड्यूटी दरें निम्नानुसार रहेगी :–

क्रं.	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2025–26 के लिये निर्धारित ड्यूटी दर
1.	**देशी मदिरा :–** मसाला – 25.0 UP प्लेन – 50.0 UP	रूपये 390/– प्रति प्रूफ लीटर
2.	***विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :–*** विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष **2025–26** में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर **प्रति पेटी** (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) निम्नानुसार होगी :–	
	1. रूपये 950/– तक	रूपये 425/– प्रति प्रूफ लीटर
	2. रूपये 951/– से 1250/– तक	रूपये 675/– प्रति प्रूफ लीटर
	3. रूपये 1251/– से 1850/– तक	रूपये 805/– प्रति प्रूफ लीटर
	4. रूपये 1851/– से 2400/– तक	रूपये 970/– प्रति प्रूफ लीटर
	5. रूपये 2401/– से 3500/– तक	रूपये 1090/– प्रति प्रूफ लीटर
	6. रूपये 3501/– से 4500/– तक	रूपये 1155/– प्रति प्रूफ लीटर
	7. रूपये 4501/– से 6500/– तक	रूपये 1210/– प्रति प्रूफ लीटर
	8. रूपये 6501/– से 8500/– तक	रूपये 1280/– प्रति प्रूफ लीटर
	9. रूपये 8501/– से 11,000/– तक	रूपये 1335/– प्रति प्रूफ लीटर
	10. रूपये 11,001/– और उससे अधिक	रूपये 1400/– प्रति प्रूफ लीटर
3.	**बीयर (माल्ट) मदिरा:–** प्रति बल्क लीटर भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) (1) रूपये 100/–प्रति ब.ली. तक (2) रूपये 101/– से 120/–प्रति ब.ली. तक (3) रूपये 121/– प्रति ब.ली. एवं उससे अधिक	ड्यूटी दर (1) रूपये 120/– प्रति ब.ली. (2) रूपये 140/– प्रति ब.ली. (3) रूपये 175/–प्रति ब.ली
4.	***विदेशी मदिरा स्प्रिट (वाईन)*** :– विदेशी मदिरा स्प्रिट (वाईन) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष **2025–26** में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर **प्रति पेटी** (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) निम्नानुसार होगी :–	
	1. रूपये 950/– तक	रूपये 425/– प्रति प्रूफ लीटर
	2. रूपये 951/– से 1250/– तक	रूपये 675/– प्रति प्रूफ लीटर

	3. रूपये 1251/— से 1850/— तक	रूपये 805/— प्रति प्रूफ लीटर
	4. रूपये 1851/— से 2400/— तक	रूपये 970/— प्रति प्रूफ लीटर
	5. रूपये 2401/— से 3500/— तक	रूपये 1090/— प्रति प्रूफ लीटर
	6. रूपये 3501/— से 4500/— तक	रूपये 1155/— प्रति प्रूफ लीटर
	7. रूपये 4501/— से 6500/— तक	रूपये 1210/— प्रति प्रूफ लीटर
	8. रूपये 6501/— से 8500/— तक	रूपये 1280/— प्रति प्रूफ लीटर
	9. रूपये 8501/— से 11,000/— तक	रूपये 1335/— प्रति प्रूफ लीटर
	10. रूपये 11,001/— और उससे अधिक	रूपये 1400/— प्रति प्रूफ लीटर
5.	रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverage) 10 प्रतिशत (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले (माल्ट एवं वाईन को छोड़कर) रेडी टू ड्रिंक पेय	रूपये 425/— प्रति प्रूफ लीटर
6.	सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनके संस्थाओं/क्लबों के लिये :—	
	(क)विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	वर्ष 2025—26 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात् रूपये 425/— प्रति प्रूफ लीटर
	(ख) बीयर (माल्ट मदिरा)	वर्ष 2025—26 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात् रूपये 120/— प्रति बल्क लीटर

टीपः— भारत के बाहर से आयातित विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) (Blended & Bottled Outside India) पर प्रदेश में आयात शुल्क समाप्त करते हुए प्रदेश में प्रचलित आबकारी शुल्क अधिरोपित किया जाता है।

स्पष्टीकरणः— 1. विदेशी मदिरा (स्प्रिट) में सम्मिलित है, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वाईन, लिकर्स, कार्डियल्स, बिटर्स, मिक्चर्स तथा अन्य विनिर्मितियाँ, जो स्पिरिट युक्त हों।

2. माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साईडर इत्यादि ।

(ख) रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverage) :—

(ख.1) रेडी टू ड्रिंक पेय से अभिप्रेरित है, 10 प्रतिशत (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाली (वाईन एवं माल्ट को छोड़कर) अन्य समस्त पेय जो वर्तमान में स्प्रिट की अन्य केटेगरी यथा व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वोदका, लिकर्स, कार्डियल्स, बिटर्स, मिक्चर्स तथा अन्य विनिर्मितियाँ, जो स्पिरिट युक्त हों।

(ख.2) ऐसे रेडी टू ड्रिंक पेय जो वर्तमान में विदेशी मदिरा स्प्रिट की किसी भी केटेगरी में रजिस्टर्ड है वे आगामी वर्ष 2025—26 के लिए रेडी टू ड्रिंक पेय के लिये रजिस्टर्ड किये जायेंगे।

(ख.3) ऐसे रेडी टू ड्रिंक पेय की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2025—26 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) (प्रति पेटी अधिकतम 9.0 बल्क लीटर तक) न्यूनतम रूपये 950/— से कम नहीं रखी जाएगी ।

(ग) आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क (ड्यूटी) पर 10% अधिभार :–

आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10% अधिभार देय होगा, जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के अनुपात में दिया जावेगा।

आबकारी शुल्क के साथ ही अधिभार की राशि जमा कराई जावेगी।

(घ) देशी/विदेशी मदिरा (स्प्रिट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक पेय/माल्ट) के फुटकर विक्रय पर प्रति नग पर अधोसंरचना विकास शुल्क :–

(i) वर्ष 2024–25 में प्रदेश में अधोसंरचना के निर्माण एवं उन्नयन हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक पेय/माल्ट) पर **''अधोसंरचना विकास शुल्क''** अधिरोपित किया था, **उक्त प्रावधान को वर्ष 2025–26 में यथावत् रखा जावेगा।**

(ii) **''अधोसंरचना विकास शुल्क''** को समस्त प्रकार की मदिरा यथा देशी मदिरा/विदेशी मदिरा (स्प्रिट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक पेय/माल्ट) पर समान रूप से अधिरोपित की जावेगी।

(iii) **''अधोसंरचना विकास शुल्क''** को समस्त प्रकार की मदिरा यथा देशी मदिरा/विदेशी मदिरा (स्प्रिट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक पेय/माल्ट) पर अनुपातिक रूप से पाव/अद्धा/बोतल में 1:2:4 के अनुपात में गणना कर अधिरोपित किया जावेगा। **''अधोसंरचना विकास शुल्क''** की दरें देशी मदिरा/विदेशी मदिरा (स्प्रिट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक पेय/माल्ट) की प्रत्येक माप की बोतलो पर निम्नानुसार होगी :–

क्र.	मदिरा का प्रकार	मदिरा की धारण क्षमता	'अधोसंरचना विकास शुल्क (रूपये में)
1	देशी मदिरा (मसाला एवं प्लेन)	बोतल (750 एम.एल.)	**40**
		अद्धा (375 एम.एल.)	**20**
		पाव (180 एम.एल.)	**10**
2	विदेशी मदिरा (स्प्रिट/वाईन/ रेडी टू ड्रिंक पेय)	767 मिलीलीटर से अन्यून किन्तु 1000 मिलीलीटर तक की धारिता वाली बोतल, मैग्नम बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	**60**
		767 मिलीलीटर से कम किन्तु 495 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, क्वार्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	**40**
		383 मिलीलीटर से कम किन्तु 246 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, पिन्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	**20**
		191 मिलीलीटर से कम किन्तु 142 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, निप बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	**10**

क्र.	मदिरा का प्रकार	मदिरा की धारण क्षमता	'अधोसंरचना विकास शुल्क (रूपये में)'
3	विदेशी मदिरा (माल्ट)	767 मिलीलीटर से कम किन्तु 495 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, क्वार्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	**10**
		383 मिलीलीटर से कम किन्तु 246 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, पिन्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	**5**

5/ <u>मादक द्रव्यों की नवीन दुकानें खोलना/बंद करना</u> :–

(5.1) राज्य में वर्ष 2024–25 में 674 मदिरा दुकानें संचालित किए जाने के साथ, आवश्यकतानुसार बड़े जिलों में प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित किये जाने की भी अनुमति दी गई थी। राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में 674 मदिरा दुकाने संचालित किये जाने तथा आवश्यकतानुसार पृथक से प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है एवं वर्ष 2025–26 हेतु किसी भी मदिरा दुकान को बंद नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(5.2) राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2025–26 हेतु **मदिरा दुकान विहीन क्षेत्रों में अवैध मदिरा** विक्रय पर नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य के किसी भी जिले की मदिरा दुकान को राज्य के किसी भी अन्य जिले में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होने पर स्थानांतरित कर, नवीन स्थल में संचालित करने की अनुमति होगी, साथ ही मदिरा दुकानों के स्थानांतरण की स्थिति में राजस्व हित में आवश्यकतानुसार दुकान के स्वरूप को परिवर्तित किये जाने की अनुमति होगी। संबंधित जिला के कलेक्टर के प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य शासन की अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् मदिरा दुकानो के संचालन करने की अनुमति होगी।

(5.3) इसके अतिरिक्त राज्य में मदिरा दुकान विहीन एवं उपयोजना क्षेत्रों तथा अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण के उद्देश्य से, आवश्यकतानुसार वर्तमान संचालित कुल 674 मदिरा दुकानों का 10 प्रतिशत अर्थात 67 नवीन देशी/विदेशी मदिरा दुकानें खोले जाने स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है, इस संबंध में जिलों के कलेक्टर द्वारा नवीन मदिरा दुकान संबंधी प्रस्ताव आवश्यक जांच उपरांत आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जावेगा, जिस पर शासन निर्णय पश्चात नवीन मदिरा दुकान खोली जा सकेगी।

6/ <u>कम्पोजिट शॉप अनुज्ञप्ति</u>:–

(6.1) राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 में कंपोजिट शॉप अनुज्ञप्ति के प्रावधान की अनुमति दी गई थी, जिसके अंतर्गत स्वीकृत अनुज्ञप्ति के अधीन आवश्यकतानुसार एक ही मदिरा दुकान से देशी तथा विदेशी मदिरा का फुटकर विक्रय किया जा सकेगा। अर्थात् (i) देशी मदिरा की फुटकर दुकान से देशी मदिरा के साथ विदेशी मदिरा का एवं (ii) विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान से विदेशी मदिरा के साथ देशी मदिरा का विक्रय किया जा सकता है। इस हेतु पृथक से अनुज्ञप्ति प्राप्त किया जाना नियत है। वर्ष 2024–25 में प्रचलित व्यवस्था आगामी वर्ष 2025–26 के लिये यथावत् प्रभावशील होगी।

(6.2) विदेशी मदिरा प्रिमियम मदिरा दुकानें:– आगामी वर्ष 2025–26 के लिए मंत्रि–परिषद् के निर्णय दिनांक 02.03.2025 आवश्यकतानुसार पृथक से प्रीमियम दुकानें संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस संबंध में जिलों के कलेक्टर द्वारा नवीन प्रीमियम मदिरा दुकान संबंधी प्रस्ताव आवश्यक जांच उपरांत आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जावेगा, जिस पर शासन निर्णय पश्चात नवीन प्रीमियम मदिरा दुकान खोली जा सकेगी।

7/ अहाता अनुज्ञप्तिः–

देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में मदिरा उपभोक्ताओं को बैठक कर मदिरापान हेतु अहाता सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी। इस हेतु देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से संलग्न परिसर में अहाता अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी। अहाता अनुज्ञप्ति के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश एवं विज्ञप्ति पृथकतः प्रसारित किये जावेंगे।

8/ देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की अवस्थिति :–

(8.1) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत निर्मित सामान्य प्रयोग के नियम के नियम 1(1) (यथा–संशोधित) के अन्तर्गत प्रावधानित आपत्तिजनक स्थानों पर कोई भी फुटकर मदिरा की दुकान, जहाँ पर परिसर में मदिरा के उपभोग की अनुमति हो, स्थापित नहीं की जा सकती है। अतः उक्त नियमों का पालन सुनिश्चित् किया जावे।

(8.2) उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रयोग के नियम के नियम 1 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत आपत्तिजनक स्थल में स्थापित मदिरा दुकानों को सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक 5 के अनुसार निर्धारित परिक्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर सक्षम हैं, अतः जिले की कोई मदिरा दुकान, जहाँ पर परिसर में मदिरा उपभोग की अनुमति हो, यदि आपत्तिजनक स्थल पर है, तो ऐसी मदिरा दुकानों को नियमानुसार आपत्तिरहित स्थल पर स्थानांतरित करने की कार्यवाही जिला स्तर पर की जावे। **प्रत्येक मदिरा दुकान की अवस्थिति का निर्धारण संबंधित दुकान के लिये नियत परिक्षेत्र में जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 01.04.2025 के पूर्व किया जाना अनिवार्य होगा।**

(8.3) निर्धारित परिक्षेत्र के अतिरिक्त किसी देशी/विदेशी मदिरा दुकान को, सामान्य प्रयोग के नियम के अध्यधीन रहते हुए, वर्तमान संचालित स्थान से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने हेतु कलेक्टर की अनुशंसा पर आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य शासन की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

9/ देशी मदिरा के भण्डारण–भाण्डागार खोलना/बंद करना :–

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार, आगामी वर्ष 2025–26 के लिए राज्य के किसी भी जिले में देशी मदिरा का नवीन भण्डारण–भांडागार नहीं खोला जावेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिनांक 01.04.2025 से प्रदेश में संचालित मद्य भण्डारण–भांडागारों की सूची एवं संलग्न जिलो का विवरण निम्नानुसार है:–

भण्डारण–भाण्डागारों एवं जिलों की सूची

क्र.	भण्डारण–भाण्डागार का नाम	जिलों का नाम, जहां मदिरा का प्रदाय किया जाना है।
1	2	3
1	रायपुर	रायपुर
2	महासमुंद	महासमुंद, गरियाबंद
3	भिलाई	दुर्ग
4	राजनांदगांव	राजनांदगांव, खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई, मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी
5	धमतरी	धमतरी, बालोद, उत्तर बस्तर कांकेर,
6	जगदलपुर	बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव
7	बिलासपुर	बिलासपुर, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही,
8	कबीरधाम	कबीरधाम, बेमेतरा, मुंगेली
9	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार–भाटापारा
10	जांजगीर–चांपा	जांजगीर–चांपा, सक्ती, कोरबा
11	अंबिकापुर	सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर
12	रायगढ़	रायगढ़, जशपुर, सारंगढ़–बिलाईगढ़

भण्डारण भण्डागारों हेतु उपयुक्त स्थल की व्यवस्था छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उक्त भण्डारण भण्डागारों हेतु प्रति भण्डारण भण्डागार निर्धारित अनुज्ञप्ति फीस रूपये 1,00,000/– का भुगतान किये जाने उपरांत आबकारी आयुक्त द्वारा सी.एस.1(ग) अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जावेगी।

10/ <u>देशी मदिरा के लिये प्रदाय व्यवस्था</u> :–

(10.1) देशी मदिरा का प्रदाय सी.एस.–1/सी.एस.–1(ख)/सी.एस.–1(खख) अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा किया जावेगा।

(10.2) देशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता को अपनी आसवनी परिसर स्थित देशी मदिरा बोतल भराई कक्ष/देशी मदिरा बोतल भराई परिसर स्थित बोतल भराई कक्ष एवं विदेशी मदिरा परिसर स्थित देशी मदिरा बोतल भराई कक्ष से देशी मदिरा के भण्डारण–भाण्डागार तक मदिरा का परेषण भेजने के पूर्व प्रति पेटी पर आबकारी शुल्क अथवा काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क), जैसा भी लागू हो, जो कि कारखाने के बाहर मूल्य (एक्स फैक्ट्री प्राईस) पर 50 प्रतिशत की दर से होगी, जमा करना अनिवार्य होगा।

(10.3) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड संबंधित भण्डारण–भाण्डागार से देशी मदिरा का प्रदाय लेगा। देशी मदिरा के प्रदाय दर का भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संबंधित प्रदायकर्ता को देशी मदिरा की प्रदाय दर प्रत्येक माह की 10, 20 एवं माह की अंतिम तारीख तक भुगतान किया जावेगा।

(10.4) वर्ष 2025–26 से संस्थागत उपाय के रूप में देशी मदिरा के लिये कांच की बोतलों का उपयोग और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये आसवक द्वारा कांच की बोतलों की कम से कम 25 प्रतिशत की आपूर्ति नई कांच की बोतलों में किया जाना अनिवार्य होगा।

(10.5) देशी मदिरा का प्रदाय काँच की बोतलों में किया जावेगा, जिसके तहत् प्रत्येक माप की बोतल अर्थात् "750 ml", "375 ml." एवं "180 ml" की बोतलों में **"For Sale in Chhattisgarh State only"** एवं **"CSMCL"** का मोनो उपयुक्त रूप से उत्कीर्ण **(Embossed)** किया जाना अनिवार्य किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मदिरा की समस्त बोतलों पर **Excise Adhesive Label (EAL)** चस्पा किया जाकर प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।

(10.6) देशी मदिरा की पेटियों में (प्रति पेटी) 750 ML क्षमता वाली 12 बोतलें, 375 ML क्षमता वाली 24 बोतलें, 180 ML क्षमता वाली 48 बोतलें संग्रहित होंगी।

(10.7) देशी मदिरा परिवहन में प्रयुक्त होने वाले सीलबंद पेटियों के दोनों तरफ लगने वाले लेबलों पर सफेद रिक्त स्थान रखना होगा जिस पर 1D बारकोड प्रिंट होगा।

(10.8) देशी मदिरा की पेटियां **''ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड''** के मानक अनुरूप होगी तथा मदिरा का प्रदाय नवीन पेटियों में ही किया जावेगा।

(10.9) देशी मदिरा प्रदायकर्ता को परेषण के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक होने वाली टूट–फूट एवं भण्डारण पर टूट–फूट की मात्रा पर आबकारी शुल्क अथवा काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) वापस नहीं होगी।

(10.10) देशी मदिरा प्रदायकर्त्ता, सी.एस.–1/सी.एस.–1(ख)/सी.एस.–1(खख) लायसेंसी द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ किए गए किसी भी प्रकार के अनुबंध की शर्तो एवं समय–समय पर दिए गए निर्देशों/आदेशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(10.11) देशी मदिरा उत्पादों को छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड (सी०एस०बी०सी०एल०) के अधीन संचालित भण्डारण–भाण्डागारों में देशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता द्वारा संग्रहित किया जावेगा तथा मदिरा के संग्रहण के लिए प्रति पेटी निर्धारित दर से किराया छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड (सी०एस०बी०सी०एल०) को देय होगा।

(10.12) देशी मदिरा प्रदायकर्ता अनुज्ञप्तिधारियों को देशी मदिरा मसाला एवं प्लेन के नामपत्रों(लेबल्स) का नियमानुसार रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य होगा।

11/ <u>सील बंद बोतलो में देशी मदिरा का परिवहन</u> :-

(11.1) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा देशी मदिरा के परिवहन के लिये अधिकृत परिवहनकर्ता द्वारा देशी मदिरा का प्रदाय भण्डारण भाण्डागार से लिया जाकर देशी मदिरा दुकान/कम्पोजिट मदिरा दुकान तक आबकारी विभाग द्वारा जारी परमिट के माध्यम से समय-सीमा के भीतर किया जावेगा।

(11.2) यदि एक से अधिक देशी मदिरा दुकान/कम्पोजिट मदिरा दुकान एक ही मार्ग (ROUTE) पर स्थित है तो आवश्यक होने पर एक से अधिक परन्तु अधिकतम तीन मदिरा दुकानों हेतु मदिरा का परिवहन एक ही वाहन से किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रत्येक मदिरा दुकानो के लिये पृथक-पृथक परिवहन परमिट जारी किया जावेगा, जिसमें प्रत्येक दुकानो के लिये परिवहन हेतु निर्धारित समयावधि अंकित किया जावेगा।

(11.3) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानो में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम मदिरा दुकान के लिये निर्धारित समय-सीमा में परिवहनकर्ता द्वारा मदिरा का परेषण पहुंचाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रथम मदिरा दुकान में मदिरा की आमद पूर्ण होने अर्थात संपूर्ण मदिरा अनलोड होने के पश्चात् मदिरा दुकान के प्रभारी आबकारी अधिकारी/आबकारी मुख्य आरक्षक/आबकारी आरक्षक द्वारा वाहन को आगामी मदिरा दुकान तक के लिये रवाना किया जावेगा, जिसमे उस दुकान की परमिट में वाहन के रवानगी की तिथि, समय एवं परिवहन की अवधि अपने हस्ताक्षर एवं सील के साथ अंकित करेगा। तत्पश्चात् उक्त द्वितीय मदिरा दुकान की दूरी के आधार पर निर्धारित समय पर वाहन का पहुंचना अनिवार्य होगा। पुनः आगामी तृतीय मदिरा दुकान के स्कंध के संबंध में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जावेगी। इस प्रक्रिया में परिवहन परमिट में जारी की गई समयावधि में स्वाभाविक अंतर परिलक्षित होना संभावित है।

(11.4) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानो में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम मदिरा दुकान के अलावा अन्य समस्त मदिरा दुकानो के लिये रूपये 500/- प्रति दुकान की दर से परिवहन सुविधा शुल्क देय होगा, जिसे परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं वहन करते हुए विभागीय मुख्य शीर्ष 0039, लघु शीर्ष 800, अन्य प्राप्तियॉ मद में भाण्डारण-भाण्डागार से मदिरा परिवहन हेतु मदिरा का वाहन में लोड होने के पूर्व ऑनलाईन माध्यम से जमा किया जावेगा। ऐसे जमा किये गये चालान की प्रति भाण्डारण-भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् ही वाहन में एक से अधिक मदिरा दुकानो का स्कंध एक साथ परिवहन करने की अनुमति भाण्डारण-भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी के द्वारा दी जावेगी।

(11.5) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानो में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में जमा परिवहन सुविधा शुल्क की मासिक जानकारी भाण्डारण-भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जावेगा।

(11.6) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानो में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में परिवहनकर्ता द्वारा जमा किया गया परिवहन सुविधा शुल्क की राशि न तो वापसी योग्य होगी और न ही मदिरा का परिवहन नहीं किये जाने की स्थिति में किसी भी मद में समायोजन योग्य होगी।

(11.7) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानो में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में मदिरा का परिवहन करने के पूर्व मदिरा का लोडिंग इस प्रकार किया जावेगा कि मदिरा के परिवहन हेतु निर्धारित प्रथम मदिरा दुकान से संबंधित मदिरा अंतिम में लोड किया जावे इसी प्रकार अन्य मदिरा दुकानों की मदिरा का लोडिंग इस प्रकार से किया जावें की किसी भी मदिरा दुकान से संबंधित मदिरा अन्य मदिरा दुकान की मदिरा से मिश्रित ना हो जावे इस हेतु पार्टीशन का कार्य किया जाना होगा एवं केवल उसी संबंधित दुकान में ही मदिरा का अनलोड किया जा सके।

(11.8) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में यद्यपि परिवहनकर्ता द्वारा एक ही मार्ग (ROUTE) की अधिकतम तीन मदिरा दुकानों की मदिरा का परिवहन किया जा सकेगा, परन्तु इस हेतु तीनों मदिरा दुकानों के लिये परमिट तैयार होने की प्रतिक्षा नहीं किया जाकर, मदिरा दुकानों में मदिरा की आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध परमिट पर परिवहन हेतु तत्काल वाहन की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

(11.9) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानो में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में उपरोक्त कण्डिका 11 में दिये गये निर्देश के उल्लंघन/त्रुटि के लिए नियमानुसार शास्ति अधिरोपित किया जा सकेगा।

12/ **देशी मदिरा की तेजी** :–

वर्ष 2025–26 के लिए देशी मदिरा की तेजी निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क्रमांक	मदिरा का प्रकार/ब्राण्ड	निर्धारित तेजी
1.	मसाला मदिरा	25.0 यू.पी.
2.	प्लेन मदिरा	50.0 यू.पी.

13/ **सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का प्रदाय** :–

वर्ष 2025–26 के लिये प्रदेश में स्थित देशी मदिरा/कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकान को भण्डारण–भण्डागार से बोतल, अद्धा, पाव लायसेंसी के मांग अनुसार किया जावेगा।

14/ **विदेशी मदिरा के गोदामों को खोलना/बंद करना तथा उनका प्रबंधन** :–

वित्तीय वर्ष 2025–26 में संचालित विदेशी मदिरा गोदाम एवं संलग्न जिलों का विवरण निम्नानुसार हैः–

विदेशी मदिरा गोदाम एवं उनसे संलग्न जिलों का विवरण

क्र.	विदेशी मदिरा गोदाम का नाम	संलग्न जिलों का नाम
1	2	3
1	विदेशी मदिरा गोदाम, सिलतरा, रायपुर	रायपुर/बस्तर (राजस्व) संभाग में सम्मिलित समस्त जिलों की विदेशी मदिरा दुकानें।
2	विदेशी मदिरा गोदाम, सिरगिट्टी, बिलासपुर	बिलासपुर/सरगुजा (राजस्व) संभाग में सम्मिलित समस्त जिलों की विदेशी मदिरा दुकानें।
3	विदेशी मदिरा गोदाम, अरसनारा, दुर्ग	दुर्ग (राजस्व) संभाग में सम्मिलित समस्त जिलों की विदेशी मदिरा दुकानें।

छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एफ.एल.10—''विदेशी मदिरा का थोक—क्रय, भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञप्ति'', हेतु प्रति गोदाम निर्धारित अनुज्ञप्ति फीस रूपये 5,00,000/— का भुगतान किये जाने उपरांत अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जावेगी।

15/ <u>विदेशी मदिरा की प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य विवरण</u> :—

(15.1) छत्तीसगढ़ राज्य में विदेशी मदिरा (स्प्रिट) तथा बीयर (माल्ट) उत्पादों का प्रदाय विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जावेगा।

(15.2) वर्ष 2025—26 से संस्थागत उपाय के रूप में विदेशी मदिरा की न्यूनतम ड्यूटी स्लैब की मदिरा में कांच की बोतलों (Glass Bottle) का उपयोग और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये विनिर्माता कम्पनी/प्रदायकर्ता द्वारा कांच की बोतलों (Glass Bottle) की कम से कम 25 प्रतिशत की आपूर्ति नवीन कांच की बोतलों (Glass Bottle) में कराया जाना अनिवार्य होगा।

(15.3) राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में क्रय की गई विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) की कीमत (प्रदाय दर) का भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संबंधित विनिर्माता कम्पनी/प्रदायकर्ता को 10 दिवसों के अंतराल में अर्थात विनिर्माता कम्पनी/प्रदायकर्ता 10वें, 20वें एवं माह के अंतिम दिवस पश्चात् छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के समक्ष देयक प्रस्तुत करेगा जिसे क्रमशः 20 वे, माह के अंतिम कार्य दिवस, आगामी माह के 10वें दिवस तक भुगतान किये जाने संबंधी प्रावधान आगामी वर्ष 2025—26 के लिये भी यथावत् प्रभावशील रहेगा।

(15.4) विदेशी मदिरा (स्प्रिट) तथा बीयर (माल्ट) उत्पादों को छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड (सी०एस०बी०सी०एल०) के अधीन संचालित गोदामों में विनिर्माता कम्पनी/प्रदायकर्ता द्वारा संग्रहित किया जावेगा तथा मदिरा के संग्रहण के लिए प्रति पेटी निर्धारित दर से किराया छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड (सी०एस०बी०सी०एल०) को देय होगा।

(15.5) विदेशी मदिरा विनिर्माता कम्पनी/प्रदायकर्त्ता द्वारा आबकारी अथवा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ किए गए किसी भी प्रकार के अनुबंध की शर्तो एवं समय—समय पर दिए गए निर्देशों/आदेशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

16/ विदेशी मदिरा का परिवहन :–

(16.1) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विदेशी मदिरा के परिवहन के लिये अधिकृत परिवहनकर्ता द्वारा विदेशी मदिरा का प्रदाय छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विदेशी मदिरा गोदाम से लिया जाकर विदेशी मदिरा दुकान/कम्पोजिट मदिरा दुकान तक आबकारी विभाग द्वारा जारी परमिट के माध्यम से समय–सीमा के भीतर किया जावेगा।

(16.2) यदि एक से अधिक विदेशी मदिरा दुकान/कम्पोजिट मदिरा दुकान एक ही मार्ग (ROUTE) पर स्थित है तो आवश्यक होने पर एक से अधिक परन्तु अधिकतम तीन मदिरा दुकानों हेतु मदिरा का परिवहन एक ही वाहन से किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रत्येक मदिरा दुकानो के लिये पृथक–पृथक परिवहन परमिट जारी किया जावेगा, जिसमें प्रत्येक दुकानो के लिये परिवहन हेतु निर्धारित समयावधि अंकित किया जावेगा।

(16.3) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानो में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम मदिरा दुकान के लिये निर्धारित समय–सीमा में परिवहनकर्ता द्वारा मदिरा का परेषण पहुंचाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रथम मदिरा दुकान में मदिरा की निकासी पूर्ण होने अर्थात संपूर्ण मदिरा अनलोड होने के पश्चात् मदिरा दुकान के प्रभारी आबकारी अधिकारी/आबकारी मुख्य आरक्षक/आबकारी आरक्षक द्वारा वाहन को आगामी मदिरा दुकान तक के लिये रवाना किया जावेगा, जिसमे उस दुकान की परमिट में वाहन के रवानगी की तिथि, समय एवं परिवहन की अवधि अपने हस्ताक्षर एवं सील के साथ अंकित करेगा। तत्पश्चात् उक्त द्वितीय मदिरा दुकान की दूरी के आधार पर निर्धारित समय पर वाहन का पहुंचना अनिवार्य होगा। पुनः आगामी तृतीय मदिरा दुकान के स्कंध के संबंध में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जावेगी। इस प्रक्रिया में परिवहन परमिट में जारी की गई समयावधि में स्वाभाविक अंतर परिलक्षित होना संभावित है।

(16.4) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानो में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम मदिरा दुकान के अलावा अन्य समस्त मदिरा दुकानो के लिये रूपये 500/– प्रति दुकान की दर से परिवहन सुविधा शुल्क देय होगा, जिसे परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं वहन करते हुए मुख्य शीर्ष 0039, लघु शीर्ष 800, अन्य प्राप्तियां मद में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विदेशी मदिरा गोदाम से मदिरा परिवहन हेतु मदिरा के वाहन में लोड होने के पूर्व ऑनलाईन माध्यम से जमा किया जावेगा। ऐसे जमा किये गये चालान की प्रति गोदाम के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् ही वाहन में एक से अधिक मदिरा दुकानो का स्कंध एक साथ परिवहन करने की अनुमति गोदाम के प्रभारी अधिकारी के द्वारा दी जावेगी।

(16.5) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानो में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में जमा परिवहन सुविधा शुल्क की मासिक जानकारी विदेशी मदिरा गोदाम के प्रभारी अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक के माध्यम से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जावेगा।

(16.6) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानो में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में परिवहनकर्ता द्वारा जमा किया गया परिवहन सुविधा शुल्क की राशि न तो वापसी योग्य होगी और न ही मदिरा का परिवहन नहीं किये जाने की स्थिति में किसी भी मद में समायोजन योग्य होगी।

(16.7) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानो में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में मदिरा का परिवहन करने के पूर्व मदिरा का लोडिंग इस प्रकार किया जावेगा कि मदिरा के परिवहन हेतु निर्धारित प्रथम मदिरा दुकान से संबंधित मदिरा अंतिम में लोड किया जावे इसी प्रकार अन्य मदिरा दुकानों की मदिरा का लोडिंग इस प्रकार से किया जावें की किसी भी मदिरा दुकान से संबंधित मदिरा अन्य मदिरा दुकान की मदिरा से मिश्रित ना हो जावे इस हेतु पार्टीशन का कार्य किया जाना होगा एवं केवल उसी संबंधित दुकान में ही मदिरा का अनलोड किया जा सके।

(16.8) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में यद्यपि परिवहनकर्ता द्वारा एक ही मार्ग (ROUTE) की अधिकतम तीन मदिरा दुकानों की मदिरा का परिवहन किया जा सकेगा, परन्तु इस हेतु तीनों मदिरा दुकानों के लिये परमिट तैयार होने की प्रतिक्षा नहीं किया जाकर, मदिरा दुकानों में मदिरा की आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध परमिट पर परिवहन हेतु तत्काल वाहन की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

(16.9) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानो में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में उपरोक्त कण्डिका 16 में दिये गये निर्देश के उल्लंघन/त्रुटि के लिए नियमानुसार शास्ति अधिरोपित किया जा सकेगा।

17/ <u>विदेशी मदिरा विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयो से विदेशी मदिरा का परिवहन :–</u>

(17.1) विदेशी मदिरा की आपूर्ति/प्रदाय के लिये आबकारी आयुक्त कार्यालय एवं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिकृत विदेशी मदिरा विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयो द्वारा विदेशी मदिरा की आपूर्ति/प्रदाय अपनी विनिर्माण इकाईयों से लिया जाकर विदेशी मदिरा गोदाम तक आबकारी विभाग द्वारा जारी परमिट के माध्यम से समय–सीमा के भीतर किया जावेगा।

(17.2) यदि एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदाम एक ही मार्ग (ROUTE) पर स्थित है तो आवश्यक होने पर एक से अधिक गोदामों हेतु मदिरा का परिवहन एक ही वाहन से किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रत्येक विदेशी मदिरा गोदाम के लिये पृथक–पृथक परिवहन परमिट जारी किया जावेगा, जिसमें प्रत्येक गोदाम के लिये परिवहन हेतु निर्धारित समयावधि अंकित किया जावेगा।

(17.3) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम मदिरा गोदाम के लिये निर्धारित समय–सीमा में विदेशी मदिरा विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयो द्वारा मदिरा का परेषण पहुंचाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रथम विदेशी मदिरा गोदाम में मदिरा की आमद पूर्ण होने अर्थात संपूर्ण मदिरा आमद होने के पश्चात् विदेशी मदिरा गोदाम के प्रभारी आबकारी अधिकारी/सहायक जिला

आबकारी अधिकारी/आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा वाहन को आगामी विदेशी मदिरा गोदाम तक के लिये रवाना किया जावेगा, जिसमे उस विदेशी मदिरा गोदाम की परमिट में वाहन के रवानगी की तिथि, समय एवं परिवहन की अवधि अपने हस्ताक्षर एवं सील के साथ अंकित करेगा। तत्पश्चात् उक्त द्वितीय विदेशी मदिरा गोदाम की दूरी के आधार पर निर्धारित समय पर वाहन का पहुंचना अनिवार्य होगा। पुनः आगामी तृतीय विदेशी मदिरा गोदाम के स्कंध के संबंध में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जावेगी। इस प्रक्रिया में परिवहन परमिट में जारी की गई समयावधि में स्वाभाविक अंतर परिलक्षित होना संभावित है।

(17.4) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम विदेशी मदिरा गोदाम के अलावा अन्य समस्त विदेशी मदिरा गोदामों के लिये रूपये 1500/— प्रति विदेशी मदिरा गोदाम की दर से परिवहन सुविधा शुल्क देय होगा, जिसे विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा स्वयं वहन करते हुए मुख्य शीर्ष 0039, लघु शीर्ष 800, अन्य प्राप्तियां मद में विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता इकाई से विदेशी मदिरा गोदाम तक मदिरा परिवहन हेतु मदिरा के वाहन में लोड होने के पूर्व ऑनलाईन माध्यम से जमा किया जावेगा। ऐसे जमा किये गये चालान की प्रति विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता इकाई के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् ही वाहन में एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों का स्कंध एक साथ परिवहन करने की अनुमति विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता इकाई के प्रभारी अधिकारी के द्वारा दी जावेगी।

(17.5) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में जमा परिवहन सुविधा शुल्क की मासिक जानकारी विदेशी मदिरा गोदाम के प्रभारी अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक के माध्यम से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जावेगा।

(17.6) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा जमा किया गया परिवहन सुविधा शुल्क की राशि न तो वापसी योग्य होगी और न ही मदिरा का परिवहन नहीं किये जाने की स्थिति में किसी भी मद में समायोजन योग्य होगी।

(17.7) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में मदिरा का परिवहन करने के पूर्व मदिरा का लोडिंग इस प्रकार किया जावेगा कि मदिरा के परिवहन हेतु निर्धारित प्रथम विदेशी मदिरा गोदाम से संबंधित मदिरा अंतिम में लोड किया जावे इसी प्रकार अन्य विदेशी मदिरा गोदाम की मदिरा का लोडिंग इस प्रकार से किया जावें की किसी भी विदेशी मदिरा गोदाम से संबंधित मदिरा अन्य विदेशी मदिरा गोदाम की मदिरा से मिश्रित ना हो जावे इस हेतु पार्टीशन का कार्य किया जाना होगा एवं केवल उसी संबंधित विदेशी मदिरा गोदाम में ही मदिरा का अनलोड किया जा सके।

(17.8) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में उपरोक्त कण्डिका 17 में दिये गये निर्देश के उल्लंघन/त्रुटि के लिए नियमानुसार शास्ति अधिरोपित किया जा सकेगा।

18/ **सी.सी.टी.वी. कैमराः—**

वर्ष 2025—26 से देशी/विदेशी मदिरा/विदेशी मदिरा(प्रीमियम)/कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं देशी/विदेशी मदिरा/कम्पोजिट मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता में आवश्यकता अनुरूप सी.सी.टी.वी. कैमरा जिसमें अनुज्ञप्त परिसर में 24 घंटे X 7 दिवस सी.सी.टी.व्ही. मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, जिसके तहत् न्यूनतम चार आई. पी. बेस्ड कैमरे नाईट विजन फेसिलिटी के साथ एवं 15 दिवस का कैमरा रिकॉर्डिंग बैक—अप रखा जाना अनिवार्य होगा।

19/ **देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के लिए स्टॉफ की नियुक्ति :—**

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुबंधित प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी को पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश पत्र में चस्पा फोटो को जिले का महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/प्रबंधक द्वारा सत्यापन किया जावेगा, तत्पश्चात् जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा नियमानुसार नौकरनामा जारी किया जावेगा।

20/ **निरीक्षण पुस्तिका :—**

(20.1) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत निर्मित सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक 22 में निरीक्षण पुस्तिका रखने के प्रावधान निहित हैं, जिसके अनुसार अनुज्ञप्तिधारी मदिरा दुकान में निरीक्षण पुस्तिका रखेगा और दुकान के निरीक्षण के समय सक्षम अधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

(20.2) छत्तीसगढ़ **आबकारी अधिनियम, 1915** के अंतर्गत निर्मित **सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक 20 में** लेखा पंजी रखने का प्रावधान निहित है, जिसके अनुसार मदिरा दुकान का अनुज्ञप्तिधारी, मदिरा दुकान में युक्तियुक्त लेखा पंजी रखेगा और दुकान के निरीक्षण के समय सक्षम अधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

(20.3) राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार **वर्ष 2024—25 की तरह आगामी वर्ष 2025—26 में भी** मदिरा दुकान के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनकी दुकान में मदिरा की प्रारम्भिक बचत, आमद, बिक्री एवं अंतिम बचत की मासिक विवरणी, जो देशी मदिरा के मसाला एवं प्लेन के लिए ब्राण्ड/लेबलवार तथा विदेशी मदिरा के लिए ब्राण्ड/लेबलवार होगी, दुकान के निरीक्षण के समय सक्षम अधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक माह के प्रारंभिक 03 कार्य दिवस के भीतर उपरोक्त जानकारी जिले के आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

21/ **मदिरा स्कंध का एक मदिरा दुकान से अन्य मदिरा दुकान में स्थानांतरण :—**

किसी मदिरा दुकान पर मदिरा की अधिक मात्रा संग्रहित होने की दशा में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के संबंधित अधिकारी के अनुरोध पर संबंधित जिले की उसी प्रकार की मदिरा दुकान में मदिरा का स्थानांतरण (Transfer) जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी की अनुमति पश्चात् नियमानुसार, निर्धारित प्रक्रिया अनुसार परिवहन परमिट प्राप्त करने उपरांत किया जा सकेगा।

एक जिले की मदिरा दुकान से अन्य जिले की मदिरा दुकान में मदिरा का स्थानांतरण (Transfer) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक के अनुमोदन/आदेश पर जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के द्वारा आबकारी आयुक्त की अनुमति पश्चात् नियमानुसार, निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर परिवहन परमिट जारी किया जा सकेगा।

22/ **शुष्क दिवस** :–

(22.1) **आगामी वर्ष 2025–26** में प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों (अहाता अनुज्ञप्ति सहित) के साथ–साथ एफ.एल.2(क) 3, 3(क), 3(ख), 3(ग), 3(घ) 4, 4(क), 6, 7, 8 एवं 10, सी.एस.1–ग को निम्नानुसार दिवसों में शासन द्वारा घोषित शुष्क दिवसों पर बंद रखा जावेगा :–

क्रमांक	शुष्क दिवस	संख्या दिवस
1.	2.	3.
1.	26 जनवरी ''गणतंत्र दिवस''	1 दिवस
2.	15 अगस्त ''स्वतंत्रता दिवस''	1 दिवस
3.	02 अक्टूबर ''गांधी जयंती''	1 दिवस
4.	18 दिसम्बर ''गुरू घासी दास जयंती''	1 दिवस

(22.2) उक्त के अतिरिक्त कलेक्टर को यह भी अधिकार है कि, वे वित्तीय वर्ष के दौरान किन्हीं भी तीन दिवसों में उनके जिले/क्षेत्र की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को बंद करने के आदेश दे सकते है। इसके अतिरिक्त लोकसभा/विधानसभा/स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, जिसमें ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है, के चुनाव/उप–चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मदिरा की दुकानों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा–24 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी लोकहित में बंद करने के लिए सक्षम हैं।

23/ **देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय** :–

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 के नियम 10 सहपठित सी.एस.2(घघ) लायसेंस शर्त क्रमांक 10, सी.एस. 2(घघ–कम्पोजिट) लायसेंस शर्त क्रमांक 10, एफ.एल. 1(घघ) लायसेंस शर्त क्रमांक 18, एवं एफ. एल.1(घघ–कम्पोजिट) लायसेंस शर्त क्रमांक 10 में देशी मदिरा व विदेशी मदिरा एवं कम्पोजिट मदिरा दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक निर्धारित रहेगा।

24/ **मदिरा के फुटकर विक्रय दरों का निर्धारण** :– छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के **व्यवस्थापन नियम, 2018 के नियम 09** के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 के लिए शासन द्वारा देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के लिए निर्धारित फुटकर विक्रय दर नियत की जावेगी। देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा के शासन द्वारा निर्धारित फुटकर विक्रय दर देशी मदिरा/विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा प्रत्येक प्रकार के नामपत्रों (लेबलों) पर अंकित किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी, निर्धारित किए गए फुटकर मूल्य से कम अथवा अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा।

25/ **मदिरा दुकानों से मदिरा विक्रय की सीमा** :–देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से एक व्यक्ति को एक बार में देशी अथवा विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) की **केवल 04 मैगनम बोतल अथवा 06 बोतल अथवा 12 अद्धा अथवा 24 पाव** की बोतलों का ही विक्रय किया जावेगा।

26/ <u>देशी/विदेशी मदिरा के लिये काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क</u> :–

देशी मदिरा के लिये प्रति पेटी पर आबकारी शुल्क अथवा काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क), जैसा भी लागू हो, जो कारखाने के बाहर मूल्य (एक्स फैक्ट्री प्राईस) पर 50 प्रतिशत तथा विदेशी मदिरा (स्प्रिट) के लिये प्रति पेटी पर आबकारी शुल्क अथवा काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क), जैसा भी लागू हो, जो लैंडिंग प्राईस (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) पर 50 प्रतिशत की दर से तथा विदेशी मदिरा (माल्ट) के लिये प्रति पेटी पर आबकारी शुल्क अथवा काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क), जैसा भी लागू हो, जो लैंडिंग प्राईस (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) पर 40 प्रतिशत की दर से होगी, जमा करना अनिवार्य होगा।

27/ <u>देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के सीलबंद बोतलों में आयात एवं देशी/विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए आर.एस./ई.एन.ए. के आयात पर शुल्क का निर्धारण</u> :–

(27.1) <u>देशी मदिरा हेतु सीलबंद बोतलों के लिए आयात शुल्क</u> :–

राज्य शासन द्वारा देशी मदिरा की सीलबंद बोतलों के अन्तर्राज्यीय आयात पर आयात शुल्क रुपये 6.00 प्रति प्रूफ लीटर निर्धारित है। **वर्ष 2025–26 के लिए** सीलबंद बोतलों में अन्तर्राज्यीय आयात पर आयात **शुल्क रुपये 6/– प्रति प्रूफ लीटर यथावत् रहेगी।**

वर्ष 2025–26 में देशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता को अपनी आसवनी परिसर स्थित देशी मदिरा बोतल भराई कक्ष/देशी मदिरा बोतल भराई परिसर स्थित बोतल भराई कक्ष एवं विदेशी मदिरा परिसर स्थित देशी मदिरा बोतल भराई कक्ष से देशी मदिरा को सीलबंद बोतलों में मास्टर कॉर्टन पैकिंग में संधारण कर मांग अनुसार, नियमनानुसार स्वयं के व्यय पर भण्डारण भाण्डागार तक प्रदाय किया जावेगा।

(27.2) <u>देशी मदिरा के विनिर्माण के लिये आर. एस. के आयात पर आयात शुल्क</u> :–

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2024–25 में देशी मदिरा के विनिर्माण के लिये उपयोग में लाई जाने वाले रेक्टीफाईड स्प्रिट के आयात पर **आयात शुल्क रुपये 1/– प्रति बल्क लीटर** निर्धारित है, जो कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये यथावत् रहेगी।

(27.3) <u>विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए ई.एन.ए. के आयात पर आयात शुल्क</u> :–

राज्य शासन द्वारा **वर्ष 2024–25 के लिए विदेशी मदिरा के विनिर्माण हेतु ई.एन.ए. के आयात पर आयात शुल्क रुपये 1/– प्रति बल्क लीटर** निर्धारित है, जो कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये यथावत् रहेंगी।

28/ <u>विदेशी मदिरा के सीलबंद बोतलों में आयात शुल्क</u> :–

वर्ष 2024–25 में विदेशी मदिरा (स्प्रिट) के अन्तर्राज्यीय आयात पर आयात शुल्क **स्प्रिट के लिए 40/– प्रति प्रूफ लीटर** निर्धारित है एवं विदेशी मदिरा (माल्ट) के अन्तर्राज्यीय आयात पर आयात शुल्क **माल्ट के लिए 20/– प्रति बल्क लीटर** निर्धारित है । **राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार** आगामी **वर्ष 2025–26** के लिए **विदेशी मदिरा (स्प्रिट) एवं विदेशी मदिरा (माल्ट)** के अन्तर्राज्यीय आयात पर आयात शुल्क यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

29/ <u>विभिन्न अनुज्ञप्तियों (लायसेंस) के लिए निर्धारित लायसेंस फीस एवं देशी/विदेशी मदिरा के ब्राण्ड/लेबल रजिस्ट्रेशन फीस का विवरण</u> :–

प्रदेश में वर्ष 2025–26 के लिये विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले अनुज्ञप्तियों (लायसेंस) एवं देशी/विदेशी मदिरा के ब्राण्ड/लेबल के रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) फीस निम्नानुसार रहेगी:–

क्र.	अनुज्ञप्तियों (लायसेंस) का नाम	विवरण	फीस का प्रकार	वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति(लायसेंस) फीस (नवीन/नवीनीकरण हेतु)
1	2	3	4	5
1	डी.–1	आसवनी अनुज्ञप्ति (स्प्रिट का उत्पादन हेतु)	लायसेंस फीस	रुपये 20,00,000
2	सी.एस.1	सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय हेतु अनुज्ञप्ति (प्रति भण्डारण– भाण्डागार)	लायसेंस फीस	रुपये 50,000
3	सी.एस.1–ख	देशी मदिरा के विनिर्माण तथा बोतल भराई हेतु अनुज्ञप्ति (डिस्टलरीज /विदेशी मदिरा/देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई हेतु)	लायसेंस फीस	रुपये 10,00,000
4	सी.एस.1–खख	देशी मदिरा के विनिर्माण तथा विशेष बोतल भराई हेतु अनुज्ञप्ति (प्रति फ्रैन्चाईसी के अन्तर्गत)	लायसेंस फीस	रुपये 5,00,000
5	सी.एस.–1 ग	देशी मदिरा थोक भण्डारण एवं वितरण का नियंत्रण हेतु अनुज्ञप्ति (सी.एस.बी.सी.एल. हेतु)	लायसेंस फीस	रुपये 1,00,000
6	सी.एस.–2(घघ)	देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,000
7	सी.एस.–2 (घघ–कम्पोजिट)	देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 20,000
8	एफ.एल.–1(घघ)	विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,000
9	एफ.एल.–1 (घघ–कम्पोजिट)	विदेशी/देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 20,000
10	एफ.एल. 6	सैनिक कैंटीन थोक विक्रय अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,000
11	एफ.एल. 7	सैनिक कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 1,000

क्र.	अनुज्ञप्तियों (लायसेंस) का नाम	विवरण	फीस का प्रकार	वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति(लायसेंस) फीस (नवीन / नवीनीकरण हेतु)
1	2	3	4	5
12	एफ.एल. 8	सैनिक / अर्धसैनिक (पैरा मिलिट्री) बल द्वारा संचालित विनोद गृह (क्लब) अथवा भोजनालय (मेस) द्वारा विदेशी मदिरा कब्जे में रखने हेतु सैनिक कैंटीन क्लब अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 1,000
13	एफ.एल. 9	विदेशी मदिरा के विनिर्माण बोतल भराई हेतु अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,00,000
14	एफ.एल. 9क	विदेशी मदिरा के विशेष बोतल भराई हेतु अनुज्ञप्ति (प्रति फ्रैन्चाईसी के अन्तर्गत)	लायसेंस फीस	रुपये 5,00,000
15	एफ.एल.10	विदेशी मदिरा का थोक – क्रय, भण्डारण एवं विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति (प्रति गोदाम सी.एस.बी.सी.एल. हेतु)	लायसेंस फीस	रुपये 5,00,000
16	ख–1–अ	यवासवनी (ब्रूअरी) हेतु अनुज्ञप्ति (बीयर उत्पादन हेतु)	लायसेंस फीस	रुपये 5,00,000
17	डब्ल्यू–3	वाईनरी हेतु अनुज्ञप्ति (वाईन उत्पादन हेतु)	लायसेंस फीस	रुपये 1,00,000
18	ब्राण्ड / लेबल का रजिस्ट्रेशन (पंजीयन)	विदेशी मदिरा हेतु ब्राण्ड / लेबल रजिस्ट्रेशन (पंजीयन)	रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) फीस	नवीन / मोडिफिकेशन ब्राण्ड / लेबल हेतु रुपये 1,00,000 प्रति ब्राण्ड / लेबल एवं नवीनीकरण हेतु रूपये 50,000 प्रति ब्राण्ड / लेबल
19	ब्राण्ड / लेबल का रजिस्ट्रेशन (पंजीयन)	देशी मदिरा हेतु ब्राण्ड / लेबल रजिस्ट्रेशन (पंजीयन)	रजिस्ट्रेशन फीस	नवीन / मोडिफिकेशन ब्राण्ड / लेबल हेतु रुपये 1,00,000 प्रति ब्राण्ड / लेबल एवं नवीनीकरण हेतु रूपये 50,000 प्रति ब्राण्ड / लेबल

30/ देशी/विदेशी मदिरा की बॉटलिंग फीस :–

प्रदेश में वर्ष 2025–26 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की बॉटलिंग फीस निम्नानुसार रहेगी :–

क्र	मद	वर्ष 2025–26 के लिये बॉटलिंग फीस की दर
1	देशी मदिरा हेतु बॉटलिंग फीस (सी.एस.1 ख अनुज्ञप्ति के अंतर्गत)	रू. 1.00 प्रति प्रूफ लीटर
2	देशी मदिरा फ्रेन्चाईसी हेतु बॉटलिंग फीस (सी.एस.1 खख अनुज्ञप्ति के अंतर्गत)	रु. 5.00 प्रति प्रूफ लीटर
3	बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत :– (स्प्रिट मदिरा हेतु)	रु. 6.00 प्रति प्रूफ लीटर
4	बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत :– (माल्ट मदिरा हेतु)	रु. 1.00 प्रति बल्क लीटर
5	बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत :– (माल्ट मदिरा निर्यात हेतु)	रु. 0.50 प्रति बल्क लीटर
6	**विदेशी मदिरा (स्प्रिट) हेतु :–**	
	(क) बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 (क) अनुज्ञप्ति फ्रेन्चाईसी के अन्तर्गत :– छत्तीसगढ़ में ही विक्रित होने वाले विदेशी मदिरा स्प्रिट के प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु :–	रु. 30.00 प्रति प्रूफ लीटर
	(ख) बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 (क) अनुज्ञप्ति फ्रेन्चाईसी के अन्तर्गत :– प्रदेश के बाहर निर्यात होने वाले विदेशी मदिरा स्प्रिट के प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु:–	रु. 2.00 प्रति प्रूफ लीटर
7	**विदेशी मदिरा (माल्ट) हेतु :–**	
	(क) बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 (क) अनुज्ञप्ति फ्रेन्चाईसी के अन्तर्गत :– छत्तीसगढ़ में ही विक्रित होने वाले विदेशी मदिरा (माल्ट) के प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु :–	रु. 5.00 प्रति बल्क लीटर
	(ख) बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 (क) अनुज्ञप्ति फ्रेन्चाईसी के अन्तर्गत :– प्रदेश के बाहर निर्यात होने वाले विदेशी मदिरा (माल्ट) के प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु :–	रु. 0.50 प्रति बल्क लीटर

31/ विभिन्न प्रकार के परिवहन/परमिट फीस/आबकारी शुल्क निम्नानुसार रहेगी :–

क्र.	विवरण	निर्धारित फीस/शुल्क
1	2	3
1	प्रदेश मे स्थित विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयों से विदेशी मदिरा के थोक गोदाम (छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम) तक विदेशी मदिरा के परिवहन हेतु	1500 रू. प्रति अनुज्ञा पत्र
2	प्रदेश में स्थित देशी मदिरा के विनिर्माण भण्डागार से सील बंद बोतलों में भण्डारण–भाण्डागार तक परिवहन हेतु	1500 रू. प्रति अनुज्ञा पत्र
3	प्रदेश मे स्थित आसवनियों एवं अन्य ईकाईयों हेतु रेक्टिफाईड स्प्रिट के परिवहन हेतु	1500 रू. प्रति अनुज्ञा पत्र
4	प्रदेश मे स्थित आसवनियों एवं अन्य ईकाईयों हेतु एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल/अल्कोहल युक्त अन्य पदार्थ के परिवहन हेतु	1500 रू. प्रति अनुज्ञा पत्र
5	विदेशी मदिरा एफ.एल.2 (क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति), एफ.एल.3 होटल बार, एफ.एल.3क शॉपिंग माल रेस्टोरेंट बार, एफ.एल.3ख विशेष रेस्टॉरेंट बार, एफ.एल.3ग पर्यटन बार, एफ. एल.3(घ) विमानपत्तन रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.4 असैनिक विनोद–गृह, एफ.एल.4 (क) व्यवसायिक क्लब एवं एफ.एल.5/एफ.एल.5क प्रासंगिक अनुज्ञप्तियों के अंतर्गत परिवहन हेतु	500 रू. प्रति अनुज्ञा पत्र
6	प्रदेश में मदिरा, मादक द्रव्य एवं आबकारी कर योग्य वस्तुओं से लदे हुए वाहनों का प्रदेश में आबकारी जांच चौकी/थाना स्थलों से प्रवेश एवं निर्गम के दौरान वैध पाये जाने पर प्रमाणीकरण हेतु आबकारी शुल्क	1000 रू. प्रति परेषण
7	प्रदेश में आबकारी जांच चौकी/थाना स्थलों से प्रवेश एवं निर्गम के समय पारपत्र की कालतीत हुए परेषणों अथवा कालातीत हो रहे होने वाले परेषणों पर जांच पश्चात वैध पाये जाने पर परिवहन हेतु समयावधि बढ़ाये जाने अथवा किसी भी अन्य वैध संशोधन की स्थिति में आबकारी शुल्क	1000 रू. प्रति परेषण

32/ देशी/विदेशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों के पंजीयन एवं रेट ऑफर हेतु फीस का विवरण :–

क्र.	विवरण	निर्धारित फीस
1	2	3
1	देशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों के लिये रेट ऑफर प्रस्तुत किये जाने हेतु आवेदन फीस	59,000/– (50,000+18% जी.एस.टी.)
2	विदेशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों के लिये पंजीयन हेतु फीस	59,000/– (50,000+18% जी.एस.टी.)
3	विदेशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों के लिये रेट ऑफर प्रस्तुत किये जाने हेतु आवेदन फीस	23,600/– (20,000+18% जी.एस.टी.)

33/ सूक्ष्म यवासवनी (Micro Brewery):–

वर्ष 2025–26 के लिये सूक्ष्म यवासवनी (Micro Brewery) अनुज्ञप्ति के संबंध में पृथक से निर्देश प्रसारित किये जावेंगे।

34/ एफ.एल.2क(बार)/एफ.एल.3(बार)/एफ.एल.3क(बार)/एफ.एल.3ख(बार)/एफ.एल.3ग(बार)/एफ.एल.3घ(बार)/एफ.एल.4/एफ.एल.4क (क्लब) एवं एफ.एल.5/एफ.एल5क (प्रासंगिक) अनुज्ञप्ति :–

वर्ष 2025–26 के लिए विदेशी मदिरा एफ.एल.2 (क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति), एफ.एल.3 होटल बार, एफ.एल.3क शॉपिंग माल रेस्टोरेंट बार, एफ.एल.3ख विशेष रेस्टॉरेंट बार, एफ.एल.3ग पर्यटन बार, एफ.एल.3(घ) विमानपत्तन रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.4 असैनिक विनोद–गृह, एफ.एल.4(क) व्यवसायिक क्लब एवं एफ.एल.5/एफ.एल.5क प्रासंगिक अनुज्ञप्ति के संबंध में पृथक से निर्देश प्रसारित किये जा रहे है।

35/ मादक पदार्थों पर अन्य कोई कर :–

वर्ष 2025–26 की लायसेंस अवधि में यदि केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर लगाया जावेगा, तो अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत् लायसेंस फीस आदि में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

36/ अन्य व्यवस्थाएँ लागू रहना :–

वर्ष 2024–25 में प्रचलित वे समस्त प्रावधान जिनका समावेश वर्ष 2025–26 की आबकारी व्यवस्था में पृथक से नहीं किया गया है, यथावत प्रभावी बने रहेगे। राजस्व हित एवं प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा शासन अनुमोदन के अधीन प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तन किये जा सकेंगे।

37/ मद्य निषेद्य नीति तथा प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप मदिरा दुकान बंद करना :–

वित्तीय वर्ष 2025–26 में छत्तीसगढ़ राज्य में मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप या किसी अन्य कारण से किसी दुकान को बंद करने का निर्णय लिया जाता है, तो वैसा करने का अधिकार राज्य शासन से अनुमति पश्चात् आबकारी आयुक्त का होगा। इस कारण से अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति शासन द्वारा देय नहीं होगी।

इसी प्रकार यदि देशी/विदेशी मदिरा दुकान के व्यवस्थापन की अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक उपद्रवों, आंदोलनों, कानून व्यवस्था आदि संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति शासन द्वारा देय नहीं होगी।

38/ सत्यनिष्ठा संधि (Integrity pact) का पालन किया जाना :–

सत्यनिष्ठा संधि (Integrity pact) की प्रक्रिया में क्रेता एवं विक्रेता द्वारा सत्यनिष्ठा की नीति का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सत्यनिष्ठा संधि का प्रारूप परिशिष्ट–02 (Annexure) में संलग्न है।

39/ वर्ष 2025–26 के लिए प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की सभी अनुज्ञप्तियाँ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 (यथा–संशोधित) निर्धारित शर्तों एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन रहेंगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

R. Shangeetha 10/3/25

(आर. शंगीता)
आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/आब./ठेका/2025/ 1167 नवा रायपुर, दिनांक 10.03.2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, छ.ग., रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, छ.ग., रायपुर,
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, छ.ग., रायपुर
7. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, छ.ग., रायपुर,
8. समस्त अपर आयुक्त आबकारी, उपायुक्त आबकारी एवं सहायक आयुक्त आबकारी, मुख्यालय, रायपुर,
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
10. संयुक्त संचालक (वित्त) मुख्यालय, रायपुर,
11. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर
12. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़,
13. उपायुक्त आबकारी जिला–रायपुर/सहायक आयुक्त आबकारी, जिला–दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/जांजगीर चांपा/रायगढ़, *एवं*
14. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, छत्तीसगढ़
15. समस्त जिला आबकारी अधिकारी(आसवनी), छत्तीसगढ़

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10/03/25.

अपर आयुक्त आबकारी
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट–01

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु आवेदन पत्र

1.

आवेदन का प्रकार	कंपनी

2.

आवेदक का आयकर विभाग का PAN (सी.एस.एम.सी.एल.)	

3. सी.एस.एम.सी.एल. का TIN (टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर)

4. वर्ष .... के लिए जिला ....की देशी/विदेशी/प्रीमियम /कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों के लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र :–

क्रं.	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार

5. (अ) कंपनी का नाम :– ....

6. पता (अ) स्थाई निवास का पता :– ....

(i)पिन कोड :– ....

(ii)टेलीफोन नं. :– ....

(iii)मोबाईल नं. :– ....

(iv)ई.मेल आई.डी. :– ....

(ब) पत्र व्यवहार हेतु पता :– ....

(i)पिन कोड :– ....

(ii)टेलीफोन नं. :– ....

(iii)मोबाईल नं. :– ....

(iv)ई.मेल आई.डी. :– ....

आवेदक के हस्ताक्षर